

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 426]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 अगस्त 2023 — श्रावण 30, शक 1945

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 8 अगस्त 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-4/2019/38-2. — छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 1012/प्र.परि./प्र.अ./महर्षि.यू./2018/17541, दिनांक 29/11/2022 द्वारा महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ग्राम-मंगला, तहसील एवं जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 83 से 92 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29 (2) के तहत किया गया है।

2/ राज्य शासन, एतद्वारा उपरोक्त अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति संबंधित विभाग एवं नियामक/सांविधिक अभिकरण से अनमति प्राप्त किये जाने की शर्त पर प्रदान करता है।

3/ उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त सचिव.

अध्यादेश-83

एजुकेशन में स्नातकोत्तर (एम.एड.)

- 83.1 शीर्षक : एजुकेशन में स्नातकोत्तर (एम.एड.)
- 83.2 संकाय : शिक्षा संकाय
- 83.3 अवधि : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
- 83.4 पात्रता : बी.एड., बी.एस-सी बी.एड, बी.कॉम बी.एड, बीए बीएड.
बीईएलईडी, डीईएलईडी एवं स्नातक
- 83.5 सीट : आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयों स्थापित कर सकता है।
- 83.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्र० 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार।
प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्राविण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राविण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
- 83.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 83.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाइट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाइट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
- छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा—
1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
 2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
 3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
- 83.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
- 83.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

- 83.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद द्वारा एवं परीक्षा योजना स्वीकृत।
- 83.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता: सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % से प्राप्त करने होंगे। 45 % से अधिक एवं 60 % अंक से अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
- 83.13 परीक्षा एवं मूल्यांकन: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं. 2 के अनुसार
- 83.14 एटीकेटी हेतु पात्रता: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं. 2 के अनुसार
- 83.15 सामान्य: पाठ्यक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पैटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठ्यक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ0ग0 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश-84

शैक्षिक नेतृत्व और प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

- 84.1 शीर्षक : शैक्षिक नेतृत्व और प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
- 84.2 संकाय : शिक्षा संकाय
- 84.3 अवधि : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
- 84.4 पात्रता : किसी भी संकाय में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
- 84.5 सीट : आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
- 84.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्र० 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार।
प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्राविण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राविण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
- 84.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 84.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाइट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाइट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
- छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा—
1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
 2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं हैं।
 3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हैं।
- 84.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
- 84.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

- 84.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद द्वारा एवं परीक्षा योजना स्वीकृत।
- 84.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता: सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % से प्राप्त करने होंगे। 45 % से अधिक एवं 60 % अंक से अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
- 84.13 परीक्षा एवं मूल्यांकन: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं. 2 के अनुसार
- 84.14 एटीकेटी हेतु पात्रता: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं. 2 के अनुसार
- 84.15 सामान्य: पाठ्यक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पैटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठ्यक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ0ग0 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश-85

पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.लिब.आई.एससी)

- 85.1 शीर्षक : पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर
- 85.2 संकाय : पुस्तकालय विज्ञान संकाय
- 85.3 अवधि : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
- 85.4 पात्रता : मान्यताप्राप्त वि०वि० से बी.लिब.आई.एससी
- 85.5 सीट : आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
- 85.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्र० 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार।
प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्राविण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राविण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
- 85.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 85.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाइट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाइट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
- छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा—
1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
 2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं हैं।
 3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हैं।
- 85.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
- 85.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

- 85.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद द्वारा एवं परीक्षा योजना स्वीकृत।
- 85.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता: सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % से प्राप्त करने होंगे। 45 % से अधिक एवं 60 % अंक से अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
- 85.13 परीक्षा एवं मूल्यांकन: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं. 2 के अनुसार
- 85.14 एटीकेटी हेतु पात्रता: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं. 2 के अनुसार
- 85.15 सामान्य: पाठ्यक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पैटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुमति के आधार पर सक्षम होगा। पाठ्यक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ0ग0 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश-86

पुस्तकालय स्वचालन और नेटवर्किंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा(पी.जी.डी.एल.ए.एन)

- 86.1 शीर्षक : पुस्तकालय स्वचालन और नेटवर्किंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
- 86.2 संकाय : पुस्तकालय विज्ञान संकाय
- 86.3 अवधि : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
- 86.4 पात्रता : मान्यता प्राप्त वि०वि० से बी.लिब.आई.एससी/एम.लिब.आई.एससी
- 86.5 सीट : आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
- 86.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्र० 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार।
प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्राविण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राविण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
- 86.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 86.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाइट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाइट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
- छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा—
1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
 2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं हैं।
 3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हैं।
- 86.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
- 86.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

- 86.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद द्वारा एवं परीक्षा योजना स्वीकृत।
- 86.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता: सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % से प्राप्त करने होंगे। 45 % से अधिक एवं 60 % अंक से अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
- 86.13 परीक्षा एवं मूल्यांकन: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं. 2 के अनुसार
- 86.14 एटीकेटी हेतु पात्रता: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं. 2 के अनुसार
- 86.15 सामान्य: पाठ्यक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पैटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुमति के आधार पर सक्षम होगा। पाठ्यक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ0ग0 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश-87

योग में डिप्लोमा

87.1	शीर्षक	:	योग में डिप्लोमा
87.2	संकाय	:	वैदिक विज्ञान संकाय
87.3	अवधि	:	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
87.4	पात्रता	:	किसी भी संकाय/विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण
87.5	सीट	:	आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
87.6	प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश क्र० 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्राविण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राविण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
87.7	अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
87.8	चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाइट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाइट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा—			
1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।			
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं हैं।			
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हैं।			
87.9	नामांकन पंजीयन :		प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
87.10	शुल्क	:	छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

- 87.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद द्वारा एवं परीक्षा योजना स्वीकृत।
- 87.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता: सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % से प्राप्त करने होंगे। 45 % से अधिक एवं 60 % अंक से अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
- 87.13 परीक्षा एवं मूल्यांकन: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं. 2 के अनुसार
- 87.14 एटीकेटी हेतु पात्रता: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं. 2 के अनुसार
- 87.15 सामान्य: पाठ्यक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पैटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठ्यक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ0ग0 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश-88

ज्योतिष में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

88.1	शीर्षक	:	ज्योतिष में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
88.2	संकाय	:	वैदिक विज्ञान संकाय
88.3	अवधि	:	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
88.4	पात्रता	:	किसी भी विषय में स्नातक
88.5	सीट	:	आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयों स्थापित कर सकता है।
88.6	प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश क्रं0 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्राविण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राविण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
88.7	अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
88.8	चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाइट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालयके वेबसाइट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा—			
1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।			
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।			
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।			
88.9	नामांकन पंजीयन :		प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
88.10	शुल्क	:	छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

- 88.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद द्वारा एवं परीक्षा योजना स्वीकृत।
- 88.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता: सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % से प्राप्त करने होंगे। 45 % से अधिक एवं 60 % अंक से अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
- 88.13 परीक्षा एवं मूल्यांकन: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं. 2 के अनुसार
- 88.14 एटीकेटी हेतु पात्रता: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं. 2 के अनुसार
- 88.15 सामान्य: पाठ्यक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पैटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठ्यक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ0ग0 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश-89

वैदिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

89.1	शीर्षक	:	वास्तुशास्त्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
89.2	संकाय	:	वैदिक विज्ञान संकाय
89.3	अवधि	:	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
89.4	पात्रता	:	किसी भी विषय में स्नातक
89.5	सीट	:	आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयों स्थापित कर सकता है।
89.6	प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश क्रं0 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्राविण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राविण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
89.7	अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
89.8	चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाइट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालयके वेबसाइट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा—			
1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।			
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।			
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।			
89.9	नामांकन पंजीयन :		प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
89.10	शुल्क	:	छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

- 89.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद द्वारा एवं परीक्षा योजना स्वीकृत।
- 89.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता: सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % से प्राप्त करने होंगे। 45 % से अधिक एवं 60 % अंक से अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
- 89.13 परीक्षा एवं मूल्यांकन: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं. 2 के अनुसार
- 89.14 एटीकेटी हेतु पात्रता: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं. 2 के अनुसार
- 89.15 सामान्य: पाठ्यक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पैटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठ्यक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ0ग0 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश-90

समग्र जीवन प्रबंधन में डिप्लोमा

90.1	शीर्षक	:	समग्र जीवन प्रबंधन में डिप्लोमा
90.2	संकाय	:	वैदिक विज्ञान संकाय
90.3	अवधि	:	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
90.4	पात्रता	:	किसी भी संकाय/विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण
90.5	सीट	:	आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयों स्थापित कर सकता है।
90.6	प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश क्रं0 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्राविण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राविण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
90.7	अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
90.8	चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाइट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाइट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा—			
1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।			
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।			
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।			
90.9	नामांकन पंजीयन :		प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
90.10	शुल्क	:	छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

- 90.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद द्वारा एवं परीक्षा योजना स्वीकृत।
- 90.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता: सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % से प्राप्त करने होंगे। 45 % से अधिक एवं 60 % अंक से अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
- 90.13 परीक्षा एवं मूल्यांकन: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं. 2 के अनुसार
- 90.14 एटीकेटी हेतु पात्रता: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं. 2 के अनुसार
- 90.15 सामान्य: पाठ्यक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पैटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठ्यक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ0ग0 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश-91

योग और प्राकृतिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

- 91.1 शीर्षक : योग और प्राकृतिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
- 91.2 संकाय : वैदिक विज्ञान संकाय
- 91.3 अवधि : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
- 91.4 पात्रता : किसी भी विषय में स्नातक
- 91.5 सीट : आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
- 91.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश कं0 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार।
प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्राविण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राविण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
- 91.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 91.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाइट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाइट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
- छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा—
1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
 2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
 3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
- 91.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन कमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
- 91.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

- 91.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद द्वारा एवं परीक्षा योजना स्वीकृत।
- 91.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता: सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % से प्राप्त करने होंगे। 45 % से अधिक एवं 60 % अंक से अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
- 91.13 परीक्षा एवं मूल्यांकन: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं. 2 के अनुसार
- 91.14 एटीकेटी हेतु पात्रता: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं. 2 के अनुसार
- 91.15 सामान्य: पाठ्यक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पैटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठ्यक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ0ग0 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश-92

वैकल्पिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

- 92.1 शीर्षक : वैकल्पिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
- 92.2 संकाय : वैदिक विज्ञान संकाय
- 92.3 अवधि : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
- 92.4 पात्रता : किसी भी विषय में स्नातक
- 92.5 सीट : आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
- 92.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश कं० 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार।
प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्राविण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राविण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
- 92.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 92.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाइट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाइट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
- छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा—
1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
 2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं हैं।
 3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हैं।
- 92.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
- 92.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

- 92.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद द्वारा एवं परीक्षा योजना स्वीकृत।
- 92.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता: सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % से प्राप्त करने होंगे। 45 % से अधिक एवं 60 % अंक से अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
- 92.13 परीक्षा एवं मूल्यांकन: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं. 2 के अनुसार
- 92.14 एटीकेटी हेतु पात्रता: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं. 2 के अनुसार
- 92.15 सामान्य: पाठ्यक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पैटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठ्यक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ0ग0 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अटल नगर, दिनांक 8 अगस्त 2023

क्रमांक एफ 3-4/2019/38-2. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-08-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 08th August 2023

NOTIFICATION

No. F 3-4/2019/38-2. — Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 1012/प्र.परि./प्र.अ./महर्षि.यू./2018/17541, Dated 29-11-2022 has approved the New Ordinance No. 83 to 92 of Maharishi University of Management and Technology, Village-Mangla, Tehsil and District-Bilaspur (Chhattisgarh), Under Section 29(2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

- 2/ The State Government hereby gives its approval for notification of these Ordinances in Official Gazette on the condition of obtaining permission from the concerned Department and Regulatory/Statutory Body.
- 3/ The above Ordinance shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
HINA ANIMESH NETAM, Joint Secretary.

ORDINANCE – 83

Master of Education (M. Ed)

- 83.1. Title: Master of Education (M.Ed.)
- 83.2. Faculty: Faculty of Education
- 83.3. Duration: Two Years (four Semesters)
- 83.4. Eligibility: B. Ed, B.Sc-B.Ed, B.Com-B.Ed, BA- B.Ed, B.El.Ed, D.El.Ed+Graduation
- 83.5 Seats: The basic unit will be of 50 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
- 83.6 Admission Procedure: As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guide line issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission.
- 83.7 Academic Year: There would be one academic year from July to June.
- 83.8 Selection Procedure: The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.
- The admission may be rejected due to any of the following reasons:
1. The fee is not paid by the due date.
 2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents/
 3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
- 83.9 Registration: Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees.
- 83.10 Fees: The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC.

83.11 Course Structure, & Examination Scheme: Compulsory Subject

1. English Language

2. Hindi Language

A candidate may offer any one group from the following on the basis of the facilities and availability of the Subject in the University.

83.12 Eligibility to Pass:

The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division.

83.13 Evaluation and Examination: As per Ordinance no. 2 of the University.**83.14 Eligibility Criteria for ATKT: As per Ordinance no. 2 of the University.****83.15 General:**

In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 84**Post Graduate Diploma in Educational Leadership & Administration**

84.1. Title:	PG Diploma in Educational Leadership & Administration
84.2. Faculty:	Faculty of Education
84.3. Duration:	One Year (Two Semesters)
84.4. Eligibility:	Graduate in any discipline on merit from a recognized university.
84.5. Seats:	Seat allotted by Relevant Regulatory body.
84.6 Admission Procedure:	As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guide line issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission.
84.7. Academic Year:	There would be one academic year from July to June.
84.8 Selection Procedure:	The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.
	The admission may be rejected due to any of the following reasons:
	1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents/ 3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
84.9 Registration:	Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees.
84.10 Fees:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC.

84.11 Course Structure, & Examination Scheme: As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council.

84.12 Eligibility to Pass: The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division.

84.13 Evaluation and Examination: As per Ordinance no. 2 of the University.

84.14 Eligibility Criteria for ATKT: As per Ordinance no. 2 of the University.

84.15 General: In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 85**Master of Library & Information Science**

- 85.1. Title: Master of Library & Information Science (M.Lib.I.Sc)
- 85.2. Faculty: Faculty of Library Science
- 85.3. Duration: One Year (Two Semesters)
- 85.4. Eligibility: B.Lib.I.Sc
- 85.5. Seats: The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
- 85.6 Admission Procedure: As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guide line issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission.
- 85.7. Academic Year: There would be one academic year from July to June.
- 85.8 Selection Procedure: The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.
- The admission may be rejected due to any of the following reasons:
1. The fee is not paid by the due date.
 2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents/
 3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
- 85.9 Registration: Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees.
- 85.10 Fees: The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC.

85.11 Course Structure, & Examination Scheme: As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council.

85.12 Eligibility to Pass: The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division.

85.13 Evaluation and Examination: As per Ordinance no. 2 of the University.

85.14 Eligibility Criteria for ATKT: As per Ordinance no. 2 of the University.

85.15 General: In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE-86**Post Graduate Diploma in Library Automation & Networking**

86.1 Title:	Post Graduate Diploma in Library Automation & Networking (PGDLAN)
86.2 Faculty:	Faculty of Library Science
86.3 Duration:	One Year (Two Semesters)
86.4 Eligibility:	B.Lib.I.Sc Or M.Lib.I.Sc
86.5 Seats:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
86.6 Admission Procedure:	As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guide line issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission.
86.7 Academic Year:	There would be one academic year from July to June.
86.8 Selection Procedure:	The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected due to any of the following reasons: 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents/ 3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
86.9 Registration:	Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees.
86.10 Fees:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC.

86.11 Course Structure, & Examination Scheme: As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council.

86.12 Eligibility to Pass: The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division.

86.13 Evaluation and Examination: As per Ordinance no. 2 of the University.

86.14 Eligibility Criteria for ATKT: As per Ordinance no. 2 of the University.

86.15 General: In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE-87**Diploma in Yoga**

87.1 Title:	Diploma in Yoga
87.2 Faculty:	Faculty of Vedic Science
87.3 Duration:	One Year (Two Semesters)
87.4 Eligibility:	10+2 in any discipline on merit from a recognized board of secondary education.
87.5 Seats:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
87.6 Admission Procedure:	As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guide line issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission.
87.7 Academic Year:	There would be one academic year from July to June.
87.8 Selection Procedure:	The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected due to any of the following reasons: 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents/ 3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
87.9 Registration:	Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees.
87.10 Fees:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC.

87.11 Course Structure, & Examination Scheme: As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council.

87.12 Eligibility to Pass: The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division.

87.13 Evaluation and Examination: As per Ordinance no. 2 of the University.

87.14 Eligibility Criteria for ATKT: As per Ordinance no. 2 of the University.

87.15 General: In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 88**Post Graduate Diploma in Jyotish**

- 88.1. Title: PG Diploma in Jyotish
- 88.2. Faculty: Faculty of Vedic Science
- 88.3. Duration: One Year (Two Semesters)
- 88.4 Eligibility: Graduates any discipline on merit from a recognized university.
- 88.5 Seats: The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
- 88.6 Admission Procedure: As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guide line issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission.
- 88.7 Academic Year: There would be one academic year from July to June.
- 88.8 Selection Procedure: The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.
- The admission may be rejected due to any of the following reasons:
1. The fee is not paid by the due date.
 2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents/
 3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
- 88.9 Registration: Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees.
- 88.10 Fees: The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC.

88.11 Course Structure, & Examination Scheme: As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council.

88.12 Eligibility to Pass: The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division.

88.13 Evaluation and Examination: As per Ordinance no. 2 of the University.

88.14 Eligibility Criteria for ATKT: As per Ordinance no. 2 of the University.

88.15 General: In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE-89**Post Graduate Diploma in Vedic Science**

- 89.1 Title: PG Diploma in Vedic Science
- 89.2 Faculty: Faculty of Vedic Science
- 89.3 Duration: One Year (Two Semesters)
- 89.4. Eligibility: Graduates any discipline on merit from a recognized university.
- 89.5. Seats: The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
- 89.6 Admission Procedure: As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guide line issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission.
- 89.7. Academic Year: There would be one academic year from July to June.
- 89.8 Selection Procedure: The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.
- The admission may be rejected due to any of the following reasons:
1. The fee is not paid by the due date.
 2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents/
 3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
- 89.9 Registration: Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees.
- 89.10 Fees: The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC.

89.11 Course Structure, & Examination Scheme: As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council.

89.12 Eligibility to Pass: The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division.

89.13 Evaluation and Examination: As per Ordinance no. 2 of the University.

89.14 Eligibility Criteria for ATKT: As per Ordinance no. 2 of the University.

89.15 General: In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE-90**Diploma in Holistic Life Management**

90.1 Title:	Diploma in Holistic Life Management
90.2 Faculty:	Faculty of Vedic Science
90.3 Duration:	One Year (Two Semesters)
90.4. Eligibility:	10+2 in any discipline on merit from a recognized board of secondary education.
90.5. Seats:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
90.6 Admission Procedure:	As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guide line issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission.
90.7. Academic Year:	There would be one academic year from July to June.
90.8 Selection Procedure:	The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.

The admission may be rejected due to any of the following reasons:

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents/
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

90.9 Registration:	Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees.
90.10 Fees:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC.

90.11 Course Structure, & Examination Scheme: As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council.

90.12 Eligibility to Pass: The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division.

90.13 Evaluation and Examination: As per Ordinance no. 2 of the University.

90.14 Eligibility Criteria for ATKT: As per Ordinance no. 2 of the University.

90.15 General: In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE-91**PGD in Yoga and Naturopathy**

91.1 Title:	PGD in Yoga and Naturopathy
91.2 Faculty:	Faculty of Yoga
91.3 Duration:	One Year (Two Semesters)
91.4. Eligibility:	Graduates any discipline on merit from a recognized university.
91.5. Seats:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
91.6 Admission Procedure:	As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guide line issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission.
91.7. Academic Year:	There would be one academic year from July to June.
91.8 Selection Procedure:	The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.
	The admission may be rejected due to any of the following reasons:
	1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents/ 3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
91.9 Registration:	Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees.
91.10 Fees:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC.

91.11 Course Structure, & Examination Scheme: As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council.

91.12 Eligibility to Pass: The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will

be awarded second division, 60% and above will be awarded first division.

91.13 Evaluation and Examination: As per Ordinance no. 2 of the University.

91.14 Eligibility Criteria for ATKT: As per Ordinance no. 2 of the University.

91.15 General: In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE-92**PGD Alternative Therapies**

92.1 Title:	PGD Alternative Therapies
92.2 Faculty:	Faculty of Yoga
92.3 Duration:	One Year (Two Semesters)
92.4. Eligibility:	Graduates any discipline on merit from a recognized university.
92.5. Seats:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
92.6 Admission Procedure:	As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guide line issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission.
92.7. Academic Year:	There would be one academic year from July to June.
92.8 Selection Procedure:	The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.
	The admission may be rejected due to any of the following reasons:
	1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents/ 3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
92.9 Registration:	Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees.
92.10 Fees:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC.

92.11 Course Structure, & Examination Scheme: As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council.

92.12 Eligibility to Pass: The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division.

92.13 Evaluation and Examination: As per Ordinance no. 2 of the University.

92.14 Eligibility Criteria for ATKT: As per Ordinance no. 2 of the University.

92.15 General: In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.